रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244822
CG-DL-E-31032023-244822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
No. 193] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सा.का.नि. 237(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है ;

(ख) "खाताधारक" से कोई लड़की या महिला जिसके नाम पर खाता है, अभिप्रेत है;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) "प्रारूप" से इस स्कीम से संलग्न कोई प्रारूप अभिप्रेत है;

(ड़) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;

(च) "वर्ष" से खाते में जमा की तारीख से आरंभ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और साधारण नियमों में उनके हैं ।

3. खाता खोलने के लिए आवेदन.- (1) इस स्कीम के अधीन खाता खोलने के लिए, किसी महिला द्वारा स्वयं के लिए या अवयस्क लड़की की ओर से संरक्षक द्वारा 31 मार्च, 2025 को या उसके पहले, खाता कार्यालय में प्रारूप-I में आवेदन किया जाएगा।

2) इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता एकल धारक प्रकार का खाता होगा।

4. जमा.- (1) उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट जमा की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति कितने भी खाते खोल सकेगा और मौजूदा खाते तथा अन्य खाता के खोलने के बीच तीन मास का समय अंतराल रखा जाएगा।

(2) किसी खाते में न्यूनतम एक हजार रुपये और एक सौ रुपये के गुणकों में कोई भी राशि जमा की जा सकेगी और उस खाते में कोई पश्चात्वर्ती जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) किसी खाताधारक के खाते या खातों में अधिकतम दो लाख रुपए जमा किए जाएंगे।

5. ब्याज.- (1) इस स्कीम के अधीन की गई जमाओं पर 7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा। ।

(2) ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित किया जाएगा और खाते में जमा किया जाएगा।

(3) इस स्कीम के उपबंधों के अनुरूप न होने वाले किसी भी खाते को खोले जाने या किए गए जमा के संबंध में खाताधारक को देय ब्याज डाकघर बचत खाते पर लागू दर पर देय होगा।

6. परिपक्वता पर भुगतान.- (1) जमा की तारीख से दो वर्ष पूर्ण होने पर जमाराशि परिपक्व हो जाएगी और पात्र शेष राशि का भुगतान खाताधारक को परिपक्वता पर लेखा कार्यालय में प्रस्तुत प्रारूप -2 में आवेदन पर किया जा सकेगा।

(2) परिपक्वता मूल्य की गणना में, रुपये के अंश में किसी भी राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए, पचास पैसे या उससे अधिक की किसी भी राशि को एक रुपया माना जाएगा और पचास पैसे से कम की किसी भी राशि को हिसाब नहीं लिया जाएगा।

7. खाते से निकासी.- (1) खाताधारक, प्रारूप -3 में आवेदन करके खाता खोलने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात किन्तु खाते की परिपक्वता से पूर्व एक बार पात्र शेष राशि का अधिकतम चालीस प्रतिशत तक निकासी का हकदार होगा।

(2) अवयस्क लड़की की ओर से खोले गए खाते के मामले में, संरक्षक लेखा कार्यालय में निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अवयस्क लड़की के फायदे के लिए निकासी के लिए आवेदन कर सकेगा, अर्थात्: -

"प्रमाणित किया जाता है कि कु०/कुमारी ....जो एक अवयस्क लड़की है और इस दिन ………..(माह), ……….(वर्ष) के दिन जीवित है, के उपयोग और कल्याण के लिए निकाली जाने वाली राशि की आवश्यकता है।

(3) खाते से निकासी की गणना में, रुपये के अंश में किसी भी राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए, पचास पैसे या अधिक की कोई भी राशि एक रुपये के रूप में मानी जाएगीऔर पचास पैसे से कम किसी भी हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

8. खाते का समयपूर्व बंद होना.-(1) निम्नलिखित मामलों के सिवाय, खाते को परिपक्वता से पहले बंद नहीं किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) खाताधारक की मृत्यु पर;

(ख) जहां डाकघर या संबंधित बैंक का यह समाधान हो जाता है , अत्यधिक अनुकंपा, , जैसे कि खाताधारक के जीवन को खतरे वाली बीमारियों में चिकित्सा सहायता या संरक्षक की मृत्यु के आधार पर, खाते का प्रचालन या जारी रखने से

खाताधारक को अनुचित कठिनाई हो रही है, तो वह पूर्ण दस्तावेजीकरण के पश्चात , आदेश द्वारा और कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए, खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति दे सकता है।

(2) जहां उप-पैरा (1) के अधीन खाता समय से पहले बंद कर दिया जाता है, मूल राशि पर ब्याज उस स्कीम के लिए लागू दर पर देय होगा जिसके लिए खाता धारित किया गया है।

(3) उप-पैरा (1) के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी कारण से , प्रारूप-4 में आवेदन करने पर खाता खोलने की तारीख से छह मास पूरे होने के पश्चात किसी भी समय खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जा सकेगी, और ऐसे मामले में जिसमें खाते में समय-समय पर शेष राशि इस स्कीम में निर्दिष्ट दर से भिन्न केवल दो प्रतिशत से कम ब्याज दर के लिए पात्र होगी।

(4) परिपक्वता मूल्य की गणना करने में, एक रुपये के अंश में किसी भी राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए, पचास पैसे या उससे अधिक की किसी भी राशि को एक रुपये के रूप में माना जाएगा और पचास पैसे से कम की किसी भी राशि को हिसाब में नहीं किया जाएगा।

9. डाक विभाग और प्राधिकृत बैंकों को देय एजेंसी शुल्क.- इस स्कीम के संचालन के लिए निम्नलिखित एजेंसी शुल्क का भुगतान किया जाएगा:

क्र.सं.	संव्यवहार का प्रकार	देय शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	प्राप्ति - भौतिक मोड	40
2.	प्राप्ति - ई-मोड	9
3.	भुगतान	6.5 पैसे प्रति 100 रुपये टर्नओवर

10. साधारण नियमों का लागू होना.- साधारण नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उन मामलों के संबंध में लागू होंगे जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किया गया है।

11. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस स्कीम के किसी भी उपबंध के प्रचालन से खाताधारक को अनुचित कठिनाई होती है, तो वह लिखित रूप में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा उस रीति में जो अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो, उस उपबंध की अपेक्षाओं को शिथिल कर सकेगी ।

[फा. सं. 1/3/2023-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

प्रारूप 1

[पैरा 3(1) देखें]

खाता खोलने के लिए आवेदन

सेवा में

डाकपाल/प्रबंधक

……………………………………………

……………………………………………

आवेदक का फोटो चस्पा करें

महोदय,

मैं …………………… .. [खाता धारक/अभिभावक], आपके डाकघर/बैंक में महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करती/करता हूं ।

मैं इसके साथ, प्रारंभिक जमा के रूप में रुपये ……………………………/- (रुपये ……………… ……………… ……………………………………) नकद/चेक/डीडी सं0 ………………… तारीख……… प्रस्तुत करता हूं । मेरा विवरण इस प्रकार है:-

1. पहले जमाकर्ता का नाम

   ………………………………………………………

   नाम या अभिभावक ………………………………………………………

   जन्म की तारीख …… .. ……………………………

   (दिन /माह / वर्ष)

   (शब्दों में) ……………………………………………

2. खाताधारक की आधार संख्या …………………… ………………………………. ..

3. खाताधारक का स्थायी खाता संख्या (पैन) …………………………………….

4. वर्तमान पता ………………………………………

   ……………………………………………………….

   स्थायी पता ……………………………………………………

   ………………………………………………………

5. संपर्क विवरण दूरभाष संख्या…………………………….

   मोबाइल नंबर ………………………………….

   ईमेल आईडी …………………………………….

6. खाते का प्रकार अवयस्क के लिए एकल या अभिभावक के माध्यम से

7. अवयस्क के जन्म की तारीख का ब्यौरा ……………………………………………

   (अवयस्क खाते के मामले में लागू)

   क) प्रमाणपत्र संख्या ……………………………………………………… ..

   ख) जारी करने की तारीख ……………………………………………………

   ग) जारी करने वाला प्राधिकारी ………………………………………………

8. अभिभावक का नाम...

(यदि खाता किसी अवयस्क की ओर से खोला जाता है)

9. संलग्न अन्य केवाईसी दस्तावेजों का ब्यौरा 1. पहचान का प्रमाण ....

2. पता प्रमाण ....

पहचान और पते के प्रमाण के प्रयोजन से निम्नलिखित दस्तावेजों को वैध दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया जाता है: 1. पासपोर्ट 2. ड्राइविंग लाइसेंस 3. मतदाता पहचान पत्र 4 . राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड 5. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का ब्यौरा हो ;

10. मेरा नमूना हस्ताक्षर

1 ....

(नाम)...

1 ....

(नाम)...

1 ....

(नाम)...

मैं योजना के उपबंधों और योजना पर लागू सरकारी बचत प्रोत्साहन नियम, 2018 और समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों का पालन करने का वचन देती/देता हूं।

योजना के अधीन मेरे/हमारे अन्य खातों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	योजना का नाम	खाता खोलने की तारीख	जमा रकम	ग्राहक पहचान संख्या	खाता संख्या	डाकघर/बैंक का नाम
1.	महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023					
2.	महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023					
खाताधारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के साथ खोले गए अधिक खातों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के मामले में एक अलग शीट ली जा सकेगी।						

खाताधारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

तारीख : ....

नामांकन

11. मैं .... नीचे उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामनिर्दिष्ट करती/करता हूं, जिन्हें मेरी मृत्यु की स्थिति में अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 में मेरे नाम जमा रकम देय होगी।

क्र.सं.	नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के नाम और संबंध	पूरा पता	आधार संख्या (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नामनिर्देशिती के जन्म की तारीख	हकदारी का अंश	हकदारी न्यासी या स्वामी की प्रकृति

1						
2						
3						
4						

जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट क्रम संख्या(ओं) .... पर नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) अवयस्क है/हैं, मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ....
सुपुत्री,पुत्री,पत्नी .... पता ....
... . नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के अवयस्क होने के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उक्त खाते के अधीन देय राशि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति करता/करती हूं ।

1. साक्षी के हस्ताक्षर ....
नाम पता..
2. साक्षी के हस्ताक्षर ....
नाम पता..

खाताधारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान :
तारीख :

डाकघर/बैंक के उपयोग के लिए

खाता .... के नाम से .... रुपये की जमा राशि के साथ खोला गया है ....महिला के अंतर्गत सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 खाता सं.___________________________ तारीख______________________________।
ग्राहक पहचान संख्या.................................
नामांकन संख्या .... तारीख .... द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

प्रारूप - 2
[पैराग्राफ 6(1) देखें]
खाता बंद करने के लिए आवेदन

डाकघर/बैंक का नाम__________________________ तारीख ________________________________

खाता संख्या_____________________________

1. मैं पासबुक/जमा रसीद जमा करता हूं और मेरे उपर्युक्त उल्लिखित खाते को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं जो __________ को परिपक्व हो गया है।

2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में पात्र शेष की रकम को मेरे एसबी खाता संख्या ___________________________ (खाता कार्यालय का नाम) ___________________________ पर स्थित में जमा करें।

या

कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/पा/खाता चेक जारी करें

या

कृपया नकद में संदाय करें (यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है तो लागू)।

प्रमाणित किया जाता है कि लाभ उठाने के लिए प्रत्याहृत की जाने वाली रकम .... के उपयोग के लिए अपेक्षित है जो जीवित है और अभी भी एक अवयस्क है।

खाताधारक /अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(अंगूठे के निशान को लेखा कार्यालय के ज्ञात व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

संदाय आदेश

(केवल कार्यालय के उपयोग के लिए)

तारीख ....

संदाय ब्यौरे

मूल रकम रु.____

(+) देय ब्याज रु. ____

(-) अतिसंदत्त ब्याज की वसूली रु.____

कटौती यदि कोई हो रुपये____

कुल देय रकम रु.____

संदाय रु.____________________ (अंकों में)____ (शब्दों में)

तारीख

डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

निस्तारण

(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)

रुपये .____________ (अंकों में) __________________________ (शब्दों में) नकद/चेक/डीडी संख्या .... तारीख ..../ खाता सं. .... में अंतरण द्वारा प्राप्त किए गए

तारीख: खाताधारक/अभिभावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रारूप - 3

[पैराग्राफ 7(1) देखें]

प्रत्याहरण के लिए आवेदन

सेवा में,

डाकपाल/प्रबंधक

....

....

महोदय,

मैं ....(खाता धारक/अभिभावक) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अपने खाते से प्रत्याहरण के लिए आवेदन करता हूं:-

खाता संख्या:.. ....

प्रत्याहरण की रकम लागू की गई...................................... ....

2. कृपया प्रत्याहरण की रकम मेरे एसबी खाता संख्या में जमा करें.

या

कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/पा/खाता चेक जारी करें

या

कृपया नकद में संदाय करें (यदि रकम नकद संदाय की अनुज्ञेय सीमा से कम है तो लागू)।

3. मैं प्रमाणित करता हूं कि प्रत्याहरण की मंजूरी के लिए योजना के अधीन लागू सभी उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

*प्रमाणित किया जाता है कि लाभ उठाने के लिए प्रत्याहृत की जाने वाली रकम .... के उपयोग के लिए अपेक्षित है जो जीवित है और अभी भी एक अवयस्क है।

तारीख :-__________________________ खाताधारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

--- ----------------------------------

(जमाकर्ता के अंगूठे के निशान को लेखा कार्यालय के ज्ञात व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

संदाय ब्यौरे

खाते में पात्र शेष .____

कम शास्ति रकम .____

संदाय की जाने वाली कुल रकम ₹ .____ (अंकों में)

(शब्दों में)____

तारीख मोहर डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

निस्तारण

(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)

रुपये .____________(अंकों में)__________________________ (शब्दों में) नकद/चेक/डीडी बेयरिंग नं.)__________________तारीख_____________/खाता संख्या____ में अंतरण द्वारा प्राप्त किए गए।

तारीख खाताधारक/अभिभावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रारूप - 4

[पैराग्राफ 8(3) देखें]

समय से पहले खाता बंद करने के लिए आवेदन

सेवा में,
डाकपाल/प्रबंधक
……………………………………………
……………………………………………
महोदय,

1. मैं समय से पहले बंद करना चाहता/चाहती हूं खाता सं.-- --- खाते में शेष है और नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार लागू शास्ति की कटौती के पश्चात् रकम का संदाय करने का आपसे अनुरोध करता हूँ:-

कृपया रकम को मेरे एसबी खाता संख्या ________________________________ (खाता कार्यालय का नाम) पर स्थित में जमा करें।

या

कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/पा/खाता चेक जारी करें

या

कृपया नकद में संदाय करें (यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है तो लागू)

2. मैं घोषणा करता हूं कि जिन उपबंधों के अधीन खाता परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है, उनका अनुपालन किया गया है।

*प्रमाणित किया जाता है कि लाभ उठाने के लिए प्रत्याहरण जाने वाली रकम ……………………………………… के उपयोग के लिए अपेक्षित है जो जीवित है और अभी भी एक अवयस्क है।

तारीख:-_________________________ खाताधारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

--- --------------------------------

(जमाकर्ता के अंगूठे के निशान को लेखा कार्यालय के ज्ञात व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

संदाय ब्यौरे

खाते में पात्र शेष .____

कम जुर्माना रकम .____

संदाय की जाने वाली कुल रकम .____ (अंकों में)

(शब्दों में)____

डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर की तारीख मोहर

--- ---

निस्तारण

(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाना है)

रुपये .___________(अंकों में)________________________ (शब्दों में) नकद/चेक/डीडी बेयरिंग नं.)________________तारीख___________/खाता संख्या____ में अतरण द्वारा प्राप्त किए गए।

तारीख : खाताधारक/अभिभावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान :

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

G.S.R.237(E).— In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) This Scheme may be called the Mahila Samman Savings Certificate, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "account" means an account opened under this Scheme;

(b) "account holder" means a girl or woman in whose name the account is held;

(c) "Act" means the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);

(d) "Form" means a form appended to this Scheme;

(e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;

(f) "year" means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in the General Rules.

3. Application for opening an account.– (1) An application for opening an account under this Scheme shall be made by a woman for herself, or by the guardian on behalf of a minor girl to the Account Office in Form - I, on or before the 31st March, 2025.

(2) An account opened under this Scheme shall be a single holder type account.

4. Deposits.– (1) An individual may open any number of accounts subject to the maximum limit for deposit specified in sub-paragraph (3) and a time gap of three months shall be maintained between the existing account and the opening of other account.

(2) A minimum of one thousand rupees and any sum in multiples of one hundred rupees may be deposited in an account and no subsequent deposit shall be allowed in that account.

(3) A maximum limit of two lakh rupees shall be deposited in an account or accounts held by an account holder.

5. Interest.- (1) The deposits made under this Scheme shall bear interest at the rate of 7.5 per cent. per annum.

(2) Interest shall be compounded on quarterly basis and credited to the account.

(3) The interest payable to the account holder in respect of any account opened or deposit made which is not in consonance with the provisions of this Scheme shall be payable at the rate applicable to the Post Office Savings Account.

6. Payment on maturity.- (1) The deposit shall mature on completion of two years from the date of the deposit and the Eligible Balance may be paid to the account holder on an application in Form-2 submitted to the accounts office on maturity.

(2) In calculating the maturity value, any amount in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.

7. Withdrawal from account.- (1) The account holder shall be eligible to withdraw maximum up to forty per cent. of the Eligible Balance once after the expiry of one year from the date of opening of the account but before the maturity of the account by making application in Form-3.

(2) In case of an account opened on behalf of a minor girl, the guardian may apply for the withdrawal for the benefit of the minor girl by submitting the following certificate to the accounts office, namely:-

"Certified that the amount sought to be withdrawn is required for the use and welfare of Miss/ Kumari……………………………. who is a minor girl and is alive on this……the day of…………..(month), ……….(year).".

(3) In calculating the withdrawal from the account, any amount in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.

8. Premature closure of account.-(1) The account shall not be closed before maturity except in the following cases, namely:-

(a) on the death of the account holder;

(b) where the post office or the Bank concerned is satisfied, in cases of extreme compassionate grounds such as medical support in life-threatening diseases of the account holder or death of the guardian, that the operation or continuation of the account is causing undue hardship to the account holder, it may, after complete documentation, by order and for reasons to be recorded in writing, allow premature closure of the account.

(2) Where an account is prematurely closed under sub-paragraph (1), interest on principal amount shall be payable at the rate applicable to the Scheme for which the account has been held.

(3) Premature closure of an account may be permitted, any time after the completion of six months from the date of opening of an Account on an application in Form-4, for any reason other than provided under sub-paragraph (1), and in which case the balance as stood from time to time in the account shall be eligible only for the interest rate less by two per cent. than the rate specified in this Scheme.

(4) In calculating the maturity value, any amount in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.

9. Agency charges payable to Department of Posts and authorised banks.- The following agency charges shall be paid for operation of this scheme:

Sl. No.	**Type of transaction**	**Charges payable (in rupees)**
(1)	(2)	(3)
1.	Receipt – Physical Mode	40
2.	Receipt – e-mode	9
3.	Payments	6.5 paise per Rs.100 turnover

10. Application of General Rules.- The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision has been made in this Scheme.

11. Power to relax.-Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the account holder, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 1/3/2023-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

FORM - 1

[See paragraph 3(1)]

Application for opening an account

Paste photograph of applicant

To

The Postmaster/Manager

…………………………………………………

…………………………………………………

Sir,

I ………………………..[account holder/guardian] hereby apply for opening of an account under Mahila Samman Savings Certificate, 2023 in your Post Office/Bank.

I tender herewith Rs……………………../- (Rs…………………………………………………………………………) in cash/Cheque/DD. No………………… date………. as initial deposit. My particulars are as under:-

1. Name of First Depositor
…………………………………………………………
Name or the Guardian …………………………………………………………
Date of Birth ……… ..……… ………………
(DD / MM / YYYY)
(In words)……………………………………………

2. Aadhaar Number of account holder
………………………………………………………..

3. Permanent Account Number (PAN) of account holder
………………………………………………………..

4. Present Address ……………………………………………………….
……………………………………………………….

Permanent Address ……………………………………………………….
……………………………………………………….

5. Contact details Telephone Number……………………………..
Mobile Number…………………………………..
Email ID……………………………………………..

6. Type of Account Single or through Guardian for Minor
7. Details of date of birth of minor …………………………………………………….
(Applicable in case of minor account)

a) Certificate No. ………………………………………………………………..
b) Date of Issue ……………………………………………………………….
c) Issuing authority ……………………………………………………………….

8. Name of Guardian………………………………………………………
(In case the account is opened on behalf of a Minor)

9. Details of other KYC documents attached 1. Proof of identification
……………………………………………………
2. Address proof
……………………………………………………

The following documents are accepted as valid documents for the purpose of identification and address proof: 1. Passport 2. Driving license 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed by the State Government officer 5. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address;

10. My specimen Signatures
1…………………………
(Name)…………………………………………………………
1……………………
(Name)…………………………………………………………
1……………………
(Name)…………………………………………………………

I hereby undertake to abide by the scheme provisions and Government Savings Promotion rules-2018 applicable on the Scheme and amendments issued thereto from time to time.

Details of my/our other accounts under the Scheme are as under:

S.No.	Name of Scheme	Date of opening of account	Amount deposited	Customer Identification Number	Account number	Name of Post office/Bank
1.	Mahila Samman Savings Certificate, 2023					
2.	Mahila Samman Savings Certificate, 2023					
	A separate sheet may be taken in case of furnishing details of more accounts opened along with signature or thumb impression of account holder/guardian.					

Signature or thumb impression of account holder/guardian
Date:……………………

Nomination

11. I…………………………………………..hereby nominate the person(s) mentioned below to whom to the exclusion of all other persons in the event of my death the amount standing to my credit in Mahila Samman Savings Certificate, 2023 at the time of my death would be payable.

S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee(optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement Trustee or owner
1						
2						
3						
4						

As the nominee(s) at Serial No.(s)……………………………………specified above is/are minor(s), I appoint Shri/Smt/Kumari………………………………………………..S/o,D/o,W/o…………………………………………… ……………………………..Address…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….to receive the sum due under the said account in the event of my death during the minority of the nominee(s).

1. Signature of witness…………………………………….
Name & Address……………………………………………..
2. Signature of witness…………………………………….
Name & Address……………………………………………..

Signature or thumb impression of account holder/guardian

Place:
Date:

For use of Post Office/Bank

The account has been opened in the name of…………………………………on……………………..with deposit of Rs……………………………………under Mahila Samman Savings Certificate, 2023 vide Account No.__________________________ dated______________________________.
Customer identification Number………………………………..
Nomination has been registered vide No……………………………………..dated………………………………………..

Signature and seal of competent authority.

FORM – 2
[See paragraph 6(1)]
Application for closure of account

Name of Post Office/Bank___________________________ Date___________________

Account Number____________________________

1. I hereby submit pass book/deposit receipt and apply for closure of my above mentioned account matured on_________________.

2. Please Credit the amount of eligible balance in my matured account to my SB Account no._________________________ standing at_______________________(Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit).
Certified, that the amount sought to be withdrawn to be availed is required for the use of ……………………………………who is alive and still a Minor.

Signature or thumb impression of account holder /guardian
(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

Payment Order
(For office use only)

Date ....

Payment detail

Principal amount Rs.____
(+) Interest due Rs. ____
(-) Recovery of overpaid interest Rs.___________________________________
Deduction if any Rs____
Total Amount due Rs____
Pay Rs.____________________(in figurers)______________________________________(in words)

Date

Signature of Postmaster/Manager

Acquittance
(to be filled by depositor)

Received Rs ._____________(In figures)______________________ (in words) By cash/cheque/DD bearing no…………………………………….dated…………………./by transfer to Account No..............................

Date: Signature/thumb impression of account holder /guardian

FORM – 3
[See paragraph 7(1)]
Application for withdrawal

To,
The Postmaster/Manager
....
....
Sir,

I ……………………………………………………………..(account holder /guardian) hereby apply for withdrawal from my account as per details below:-
Account Number:...

Amount of withdrawal applied..

2. Please Credit the amount of withdrawal to my SB Account no.________________________ standing at______________________(Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit of cash payment).

3. I certify that all the provisions applicable under scheme for grant of withdrawal have been complied with.

*Certified, that the amount sought to be withdrawn to be availed is required for the use of ………………………………………who is alive and still a Minor.

Date:-______________ Signature or thumb impression of account holder/guardian
----
(Thumb impression of the depositor should be attested by a person known to the accounts office)

For office use only

Payment detail

Eligible balance in Account .____
Less Penalty amount .____
Total Amount to be paid ₹ .________________________________(In figures)
(In words)____

Date Stamp Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by account holder/ messenger)
Received Rs .____________(In figures)______________________ (in words) By cash/cheque/DD bearing No.)__________________dated____/by transfer to Account No____.

Date Signature/thumb impression of account holder/guardian

FORM – 4

[See paragraph 8(3)]

Application for premature closure of account

To,
The Postmaster/Manager
....
....

Sir,

1. I wish to prematurely close Account No________________________ having balance of ____________________(Rupees______________________ Only) and request you to pay the amount after deduction of applicable penalty, as per details given below:-

Please Credit the amount to my SB Account no.________________________ standing at___________________________________(Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

or

Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit)

2. I hereby declare that the provisions under which the account can be closed before maturity have been complied with.

*Certified, that the amount sought to be withdrawn to be availed is required for the use of ………………………………………who is alive and still a Minor.

Date:-______________ Signature or thumb impression of account holder /guardian

----

(Thumb impression of the depositor should be attested by a person known to the accounts office)

For office use only

Payment detail

Eligible balance in Account .____

Less Penalty amount .____

Total Amount to be paid .________________________________(In figures)

(In words)____

Date Stamp Signature of Postmaster/Manager

Acquittance

(to be filled by account holder/ messenger)

Received Rs .____________(In figures)______________________ (in words) By cash/cheque/DD bearing No.)__________________dated____/by transfer to Account No____.

Date: Signature/thumb impression of account holder /guardian
Place:

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सा.का.नि. 238(अ).— केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी बचत संवर्धन साधारण (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 के नियम 6 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) नियम 5 के उप-नियम (2) में उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त, कोई व्यष्टि खाता खोलने के प्रयोजन से पहचान और पते के प्रमाण सहित निम्नलिखित पहचान दस्तावेज भी लेखा कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-

(क) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या:

परन्तु, -

(क) जहां किसी व्यष्टि को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, वहां वह खाता खोलते समय आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा और खाता धारक खाते को आधार संख्या से जोड़ने के लिए खाता खोलने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर लेखा कार्यालय को आधार संख्या प्रस्तुत करेगा;

(ख) यदि कोई जमाकर्ता पहले से ही खाता खोल रखा है और लेखा कार्यालय में अपना आधार संख्या प्रस्तुत नहीं किया है, तो वह 1 अप्रैल, 2023 से छह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा,

और जमाकर्ता द्वारा छह मास की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आधार संख्या प्रस्तुत करने में विफल होने की स्थिति में, जब तक वह लेखा कार्यालय में आधार संख्या प्रस्तुत नहीं करता है, तब तक उसका खाता प्रचालन में नहीं रहेगा;

(ख) आयकर नियम, 1962 में यथा परिभाषित स्थायी खाता संख्या या प्ररुप 60:

परन्तु जिस व्यष्टि ने खाता खोलने के समय स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं की है, उसे निम्नलिखित में से किसी भी घटना के, जो भी पहले हो, होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर लेखा कार्यालय में उसे प्रस्तुत करना होगा, अर्थात्:-

(i) खाते में किसी भी समय अतिशेष पचास हजार रुपये से अधिक है; या

(ii) किसी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी जमा रकमों का योग एक लाख रुपये से अधिक है; या

(iii) खाते से एक महीने में सभी निकासी और अंतरण का कुल योग दस हजार रुपये से अधिक है,

और दो मास की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जमाकर्ता द्वारा स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत करने में विफल होने की स्थिति में, जब तक वह लेखा कार्यालय को स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं कर देता है, तब तक उसका खाता प्रचालन में नहीं रहेगा;

(ग) कोई अन्य दस्तावेज, जो लेखा कार्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए, जिसमें कारबार की प्रकृति और जमाकर्ता की वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।"।

[फा. सं. 1/3/2023-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1003 (अ), तारीख 5 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

G.S.R.238(E) — In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Government Savings Promotion General Rules, 2018, namely:-

1. These rules may be called the Government Savings Promotion General (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Government Savings Promotion General Rules, 2018, in rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) In addition to the documents mentioned in sub-rule (2) of rule 5, an individual shall also submit to the Accounts Office, the following identity documents containing proof of identity and address for the purpose of opening an account, namely:-

(a) the Aadhaar Number issued by the Unique Identification Authority of India:

Provided that,-

(a) where the Aadhaar Number has not been assigned to an individual, he shall furnish proof of application of enrollment for Aadhaar at the time of opening an account and the account holder shall furnish the Aadhaar number to the Accounts Office within a period of six months from the date of opening of account for linking the account with Aadhaar Number;

(b) if a depositor has already opened an account and has not submitted his Aadhaar number to the Accounts Office, he shall do so within a period of six months with effect from the 1st day of April, 2023,

and in the event of failure of the depositor to submit the Aadhaar number within the specified period of six months, his account shall cease to be operational till the time he submits the Aadhaar Number to the Accounts Office;

(b) the Permanent Account Number or Form 60 as defined in the Income Tax Rules,1962:

Provided that the individual who has not submitted the Permanent Account Number at the time of opening an account shall submit the same to the Accounts Office within a period of two months from the date of happening of any of the following events, whichever is the earliest, namely:-

(i) the balance at any point of time in the account exceeds fifty thousand rupees; or

(ii) the aggregate of all credits in the account in any financial year exceeds one lakh rupees; or

(iii) the aggregate of all withdrawals and transfers in a month from the account exceeds ten thousand rupees,

and in the event of the failure of the depositor to submit the Permanent Account Number within the specified period of two months, his account shall cease to be operational till the time he submits the Permanent Account Number to the Accounts Office;

(c) any other document as may be considered necessary by the Accounts Office including those related to the nature of business and financial status of the depositor."

[F. No. 1/3/2023-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G. S. R. 1003 (E), dated the 5th October, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सा.का.नि. 239(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) स्कीम, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) स्कीम, 2019 के पैरा 4 के उप-पैरा (2) में,-

(क) "चार लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "नौ लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "नौ लाख" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह लाख" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1/3/2023-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 917(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और तत्पश्चात संख्यांक सा.का.नि. 286(अ), तारीख 5 मई, 2022, सा.का.नि. 839(अ), तारीख 22 नवंबर, 2022 और सा.का.नि. 55(अ), तारीख 27 जनवरी, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

G.S.R.239(E)—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme to further amend the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the National Savings (Monthly Income Account) (Amendment) Scheme, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019, in paragraph 4, in sub-paragraph (2), –

(a) for the words “rupees four lakh fifty thousand”, the words “nine lakhs” shall be substituted;

(b) for the words “nine lakhs”, the words “fifteen lakh” shall be substituted.

[F. No. 1/3/2023-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Note : The Principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G. S. R. 917(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide number G.S.R.286(E) dated the 5th May, 2022, G.S.R. 839(E) dated the 22nd November, 2022 and G.S.R. 55(E) dated the 27th January, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सा.का.नि. 240(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत (संशोधन) स्कीम, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 3 के उप-पैरा (7) में, "पंद्रह लाख" शब्दों के स्थान पर, "तीस लाख" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त स्कीम के पैरा 4 के उप-पैरा (1) में "पंद्रह लाख" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "तीस लाख" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1/3/2023-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, संख्यांक सा.का.नि. 916(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और तत्पश्चात संख्यांक सा.का.नि. 287(अ), तारीख 5 मई, 2022, सा.का.नि. 842(अ), तारीख 22 नवंबर, 2022 और सा.का.नि. 56(अ), तारीख 27 जनवरी, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

G.S.R.240(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Senior Citizens' Savings Scheme, 2019, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Senior Citizens' Savings (Amendment) Scheme, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Senior Citizens' Savings Scheme (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3, in sub-paragraph (7), for the words "fifteen lakhs", the words "thirty lakh" shall be substituted.

3. In the said Scheme, in paragraph 4, in sub-paragraph (1), for the words "fifteen lakh" at both the places where they occur, the words "thirty lakh" shall be substituted.

[F. No. 1/3/2023-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S. R. 916(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended *vide* number G.S.R.287 (E), dated the 5th May, 2020, G.S.R. 842(E), dated the 22nd November, 2022 and G.S.R. 56(E) dated the 27th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA